रक्षा अब निवेश का क्षेत्र : राजनाथ

- रक्षा खर्च को अब आर्थिक निवेश के रूप में देखा जा रहा
- हथियारों की होड़ फिर तेज, स्वदेशी हथियारों की मांग बढ़ी

नई दिल्ली, 7 जुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया भर में फिर से हथियारों की होड़ बढने से रक्षा क्षेत्र को अब केवल आवश्यक व्यय के बजाय एक रणनीतिक आर्थिक निवेश के रूप के रूप में देखा जा रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए 'रक्षा क्षेत्र के अर्थशास्त्र' पर विशेष जोर दिये जाने की जरूरत है.

सिंह ने सोमवार को यहां रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी बदलावों का उल्लेख किया. दुनिया के अनेक हिस्सों में बढ रहे टकरावों तथा संघर्षों के मद्देनजर हथियारों की होड़ के बढने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,आज भारत सहित पूरा विश्व फिर से हथियारबंद होने के नए दौर से गुजर रहा है. अब इस क्षेत्र में काफी पूंजीगत निवेश किये जा रहें हैं. कुछ समय पहले तक तो रक्षा क्षेत्र में किये गए निवेश को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हिस्सा तक नहीं माना जाता था. इसे मात्र आवश्यक व्यय के तौर पर देखा जाता था और सुरक्षा पर हुए निवेश का कोई आर्थिक मूल्यांकन भी नहीं होता था. रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हथियारों से संबंधित निवेश के बढने से रक्षा क्षेत्र के अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा,आज के दौर में जब हथियारों और इससे संबंधित निवेश में तेजी से वृद्धि हो रही है तो हमें रक्षा अर्थशास्त्र पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है. आज अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित लगभग सभी बड़े देश रक्षा खर्च को तेजी से बढ़ा रहे हैं. ऐसे में रक्षा अर्थशास्त्र का महत्व भी बढ जाता है.

> उन्होंने कहा कि अब रक्षा क्षेत्र केवल आवश्यक व्यय नहीं रह गया है बल्कि यह आर्थिक निवेश की तरह देखा जा रहा है जिसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ रहा है .सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र ने केवल स्वयं वृद्धि कर रहा है बल्कि दूसरे क्षेत्रों में बढोतरी में भी योगदान दे रहा है .सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि सैनिकों की वीरता और स्वदेशी हथियारों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है . उन्होंने कहा,दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान के साथ देख रही है .

उद्योगों को वैश्विक मांग में बदलाव

रक्षा मंत्री ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024 में बढता वैश्विक सैन्य व्यय 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और इससे भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योगों के लिए जबरदस्त अवसर पैदा हुए हैं . उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के उद्योगों को वैश्विक मांग में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और निर्यात तथा नवाचार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए . उन्होंने कहा, हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय तेजी से लिए जाएँ ताकि हम यहीं भारत में बड़े इंजनों का निर्माण शुरू कर सकें और यह यात्रा भारतीयों के हाथों से शुरू हो .उन्होंने उन्नत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की .सिंह ने निरंतर बदलती परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि शांति का समय एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है . उन्होंने कहा,अपेक्षाकृत शांत अवधि के दौरान भी हमें अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए . अचानक होने वाले घटनाक्रम हमारी वित्तीय और परिचालन स्थिति में पूर्ण बदलाव ला सकते हैं . चाहे वह उपकरण उत्पादन को बढ़ाना हो या वित्तीय प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना हो, हमें हर समय नवीन तकनीकों और उत्तरदायी प्रणालियों के साथ तैयार रहना चाहिए .

झुंझुनू में उद्घाटन से पहले ही सड़क बही

झुंझुनू, 07 जुलाई. राजस्थान में झुंझुनू जिले के बाघोली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को जोड़ने वाली बाघोली-जहाज सड़क काटली नदी क्षेत्र में बरसात के पानी में बह गयी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सड़क का हाल ही में निर्माण कार्य पूरा हुआ था और इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन होना था. उद्घाटन से पहले ही सड़क का एक बड़ा हिस्सा काटली नदी के बहाव में समा गया. सड़क के बहने से सड़क पर करीब 35 फुट का गहरा गड्ढा बन गया.

इससे पापड़ा और पंचलगी सहित कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से टूट गया है.राष्ट्रीय राजमार्ग -52 को जोड़ने वाली बाघोली-जहाज सड़क का कार्य हाल ही में पूरा हुआ था. इस सड़क के टूटने के बाद काटली नदी के किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गये.

> इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए सड़क के पुनर्निर्माण से पहले तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में काम करवाने की मांग की, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति फिर न आये.

दो पक्षों के विवाद में दो की गोली मारकर हत्या

राजगीर. बिहार में नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि डुमरावां गांव में देर शाम को गांव के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई.

बिहार में चक्का जाम की घोषणा

मतदाता सूची विवाद पर विपक्ष ने किया विरोध तेज

महागठबंधन ने किया आंदोलन का ऐलान

नई दिल्ली, 7 जुलाई .बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर विपक्षी दलों ने नौ जुलाई को चक्का जाम का आह्वान किया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं. विपक्षी दलों का महागठबंधन बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का लगातार विरोध कर रहा है.

उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित हो सकते हैं. महागठबंधन का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये कदम उठा रही है.सूत्रों के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महागठबंधन द्वारा आयोजित चक्का जाम के मौके पर पटना जा सकते हैं.

> उनका कहना है कि इससे महागठबंधन की मुहिम को मजबूती मिलेगी .सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन के नेताओं ने बिहार के राज्यपाल से मिलने का वक्त माँगा है . वे मतदान सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं . हांलाकि राज्यपाल की ओर से मुलाकात का समय अभी तक नहीं दिया गया है .मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मिलकर अपनी आपत्ति जता चुके हैं . उनका कहना है कि आयोग द्वारा अचानक उठाया गया ये कदम पूरी तरह अनुचित है और उसे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए .

ब्रिक्स सम्मेलन में जयशंकर सक्रिय

- रूस, ईरान और मैक्सिको से बातचीत की
- रूस से ब्रिक्स और एससीओ की बात
- ईरान से हाल की घटनाओं पर चर्चा

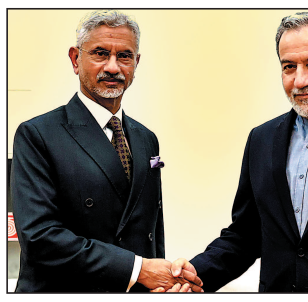

रीओ डी जनेरियो,7 जुलाई. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर रविवार को रूस, ईरान और मैक्सिको के अपने समकक्षों से मुलाकात की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन पर बात की. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ब्रिक्स2025 के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर अच्छा लगा.उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की.

> ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है क्योंकि यह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है .ब्रिक्स, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, का 2024 में विस्तार हुआ जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए,

आज का इतिहास

1792 : फ्रांस ने परशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.

1836 : महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन शोध करने सेंट हेलेना पर पहुंचे.

1954 : भाखड़ा नहर परियोजना का उद्घाटन

1963 : अमेरिका ने क्यूबा के साथ अपने सभी वित्तीय लेनदेन बंद किए.

1972 : बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट को नए तेवर देने वाले खिलाड़ी सौरव गांगुली का जन्म.

1981 : फ्रांस के प्रधानमंत्री मॉरिस ने बैंको और कुछ बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण.

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDENT
(Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF SH. VINOD YADAV, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT)-02, NORTH-WEST DISTRICT, DELHI, ROOM NO.316, ROHINI COURT, DELHI.
CS (Comm.) /852/2023
KRISHNA PETROCHEM ...Plaintiff
Vs.
M/S K N DEVELOPERS & BUILD CON PVT LTD. ...Defendant
To
1. M/S K N DEVELOPERS & BUILD CON PVT LTD AT 203, SUN CITY PHASE-2, DEWAS KHOHARI PLANT KHANNAUDHI, THE JAISING NAGAR, DISTT. SHAHDOL MADHYA PRADESH - 484001
2. NARENDER SINGH TOMAR S/O VIRENDER SINGH TOMAR R/O M.M. ROAD, M/S KARAN FILLING STATION AMBAH, MORENA, MADHYA PRADESH - 476111
3. NEHA PARMAR C/O RAM PRAKASH SINGH PARMAR AT DAU DAYAL MARG, AMBAH MORENA MADHYA PRADESH - 476111
4. SHUBHASH PATHAK S/O MAYARAM PATHAK AT BADFARA, AMBAH, MORENA MADHYA PRADESH-452010
5. ASHOK KUMAR SHARMA S/O KESHAV PRASAD SHARMA AT H.NO.224, DK-1, SCHEME NO 74C, VIJAY NAGAR, INDORE MADHYA PRADESH - 452010

WHEREAS you, in view of the reports already received, cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **28th of OCTOBER, 2025** the day fixed **for the final disposal,** it will be heard and determined **ex-parte.**
Given under my hand and the seal of the court on this **31st Day of May, 2025.**
Seal
Sd/-
District Judge (Commercial Court)-02
North West, Rohini, Delhi

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)
सुदामा नगर शाखा, इन्दौर
सूचना
दिनांक 08/07/2025
अंश ट्रेडर्स, प्रो. श्री अजय अग्रवाल (नोटिस डिमांड)
महोदय/महोदया,
विषय: व्यापार हेतु आपके द्वारा लिए गए ऋण की चुकौती
ऋण खाता संख्या 25900410000151
आपने व्यापार हेतु **दिनांक 30.08.2024 को 3,50,00,000/- रूपये** का ऋण हमारे बैंक से लिया था। इस ऋण को बैंक के साथ हुए इकरारनामे के अनुसार ब्याज सहित लौटाना था। आपके ऋण खाते केअनुसार इसका एनपीए होने के बाद आज तक की कुल राशि रुपये 3,56,93,919.55/- है।
इस सम्बन्ध में आपसे कई बार व्यक्तिगत सम्पर्क/पत्रों द्वारा उक्त ऋण राशि चुकता करने के लिए अनुरोध किया गया। इसके बावजूद अभी तक आपने ऋण खाते में कोई राशि जमा नहीं करवाई है। कृपया नोट करें कि इस ऋण की चुकौती नियमित रूप से न कर पाने की स्थिति में आप बैंक से किसी और ऋण के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। अत: आपसे पुन निवेदन है कि हमारे इस नोटिस की प्राप्ति पर आप 7 दिनों के भीतर एनपीए राशि अपने ऋण खाते में जमा करवा दें अन्यथा हमें विवश होकर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमें विश्वास है कि आप ऐसी कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर नहीं करेगें और शीघ्र ही उक्त राशि बैंक में जमा करवा देगें।
भवदीय
प्रबंधक/वरीष्ठ प्रबंधक

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.
आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।
चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
1	9760199	श्रीमती कविता ठाकुर (ऋणी) श्रीमती मोना ठाकुर एवं श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर (सह-ऋणी)	₹ 10,36,368/-	16-04-2025 / 04-07-2025	सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: उक्त अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, उत्तरी भाग जिसका क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट प्लॉट नंबर 219 पर निर्माण कार्य, राजाराम नगर कॉलोनी देवास मध्य प्रदेश **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: प्लॉट नंबर 320, पश्चिम: रोड, उत्तर: प्लॉट नंबर 285, दक्षिण: प्लॉट नंबर 219 का शेष भाग
दिनांक : 04-07-2025 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इन्दौर (म.प्र.) **वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
अस्ति वसूली शाखा (ए.आर.बी.)
12/12-ए, द्वितीय तल, अनूप नगर, जीवन प्रदीप, एलआईसी बिल्डिंग, सीएचएल अस्पताल के सामने, इंदौर - 452011 **ई-मेल-** arb.indore@unionbankofindia.bank
आधिपत्य सूचना (नियम 8(1)) (अचल संपत्ति हेतु)
अनुलग्नक-1
जबकि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम - 2002 (2002 का नं. 54) की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं- 1. ऋणी/यों मैसर्स धनराज ट्रेडर्स (प्रोप्राइटर) श्री दिनेश राठौड़ पिता श्री बाबूलाल राठौड, पता 1:** सी-51 विद्या पैलेस कॉलोनी, छोटा बांगड़दा, इंदौर 452005 (म.प्र.) **पता 2:** दुकान नंबर 7, लक्ष्मी बाई मंडी, इंदौर 452006 (म.प्र.) **2. जमानतदार/ओं ए) श्री दिनेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड पता:** सी-51 विद्या पैलेस कॉलोनी छोटा बांगड़दा, इंदौर 452005 (म.प्र.) **बी) श्री मुकेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड पता:** सर्वे नंबर 861 वार्ड नंबर 28, गिरवर रोड के पास, शाजापुर 465001 (म.प्र.) **सी) श्री सुरेश राठौड पिता श्री बाबूलाल राठौड पता:** 30-31 कसेरा बाजार, शाजापुर 465001 (म.प्र.) को **दिनांक 10.03.2025** को मांग सूचना जारी कर सूचना प्राप्ति की तिथि से **60 दिन** के अन्दर उक्त सूचना में दी गई ऋण राशि **रु.12,45,69,713.11 (रुपये बारह करोड़ पैंतालीस लाख उनसत्तर हजार सात सौ तेरह रुपये एवं ग्यारह पैसे मात्र)** साथ ही भुगतान एवं/या वसूली की तारीख तक प्रभारित न किया गया ब्याज, आकस्मिक व्यय, अन्य लागतें, प्रभार आदि का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था।
चूंकि ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने संपूर्ण अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषत: एवं आम जनता को साधारणत: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत **दिनांक 02 जुलाई 2025** को प्राप्त कर लिया है।
ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करे तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया हो तो वह बकाया राशि **रु.12,45,69,713.11 (रुपये बारह करोड़ पैंतालीस लाख उनसत्तर हजार सात सौ तेरह रुपये एवं ग्यारह पैसे मात्र)** उस पर ब्याज व खर्चे के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के अधीन होगा।
ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति - 1 आवासीय मकान नं. 29, वार्ड नं. 9, कसेरा बाजार मेन रोड, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, क्षेत्रफल : 900 वर्गफीट, **चर्तुसीमा :** उत्तर: कसेरा बाजार लक्ष्मीबाई मार्ग, दक्षिण: कॉमन लेन, पूर्व : श्री हीरालाल कसेरा का मकान, पश्चिम: श्री लक्ष्मीनारायण राठौर का मकान
संपत्ति - 2 सर्वे नं. 861 (मिन), वार्ड नं. 28, ग्राम गिरवर, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) में स्थित आवासीय संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, क्षेत्रफल: 500 वर्गफीट, **चर्तुसीमा :** उत्तर: श्री सुरेश राठौर, श्री मुकेश राठौर एवं श्री दिनेश राठौर को विक्रेता द्वारा बेची गई जमीन, दक्षिण: कुंताबाई की जमीन, पूर्व: 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता/रोड़, पश्चिम: श्री रमेश राठौर की जमीन एवं मकान
संपत्ति - 3 सर्वे नं. 862 (मिन), वार्ड नं.28, ग्राम गिरवर, तहसील और जिला शाजापुर (म.प्र.) में स्थित आवासीय संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, श्री मुकेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, क्षेत्रफल: 800 वर्गफीट, **चर्तुसीमा:** उत्तर: शाजापुर गिरवर रोड, दक्षिण: श्री सुरेश राठौर को विक्रेता द्वारा बेची गई जमीन, पूर्व: 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता/रोड, पश्चिम: श्री रमेश राठौर का मकान,
संपत्ति - 4 सर्वे नं. 57/1 कृषि उपज मंडी के पास, वार्ड नं.29, ए. बी. रोड बायपास के पीछे ग्राम फूलखेडी, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) स्थित परिवर्तित व्यावसायिक भूमि के समस्त भाग एवं अंश, **मालिक:** श्री सुरेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर एवं श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, क्षेत्रफल 1934 वर्गमीटर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: पुराना बायपास रोड एवं कांकड., दक्षिण: सरकारी कांकड., पूर्व: श्री इब्राहिम खान की जमीन, पश्चिम: श्री इब्राहिम खान की जमीन
संपत्ति- 5 सर्वे नं.26/2/1/1/1, प.ह.नं.71, ग्राम बोरसी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) स्थित औद्योगिक उद्देश्य से परिवर्तित भूमि के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल 0.280 हेक्टेयर है जिसमें 5000 वर्गफीट क्षेत्रफल में बना टिन-फैक्ट्री शेड है, **मालिक:** श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: कच्चा रास्ता/रोड़, दक्षिण: पिपलिया वाले की जमीन, पूर्व : कच्चा रास्ता/रोड़, पश्चिम: सीताराम राठौर की जमीन
संपत्ति- 6 उषागंज की (आईएमसी वार्ड नं. 63), गली नं. 4, इंदौर (म.प्र.) स्थित मकान नं.34 की संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 925 वर्गफीट है, **मालिक:** श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: रोड़, दक्षिण: नाला, पूर्व : प्लॉट नं. 33/4, पश्चिम: प्लॉट नं. 35/4
संपत्ति-7 सर्वे नं.126/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, प.ह. नं. 41, वार्ड नं. 1, ग्राम बिलावली, तहसील देवास, जिला देवास, (म.प्र.) स्थित व्यवसायिक परिवर्तित भूमि के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल 0.390 हेक्टेयर, **मालिक:** श्री दिनेश राठौर पिता श्री बाबूलाल राठौर, **चर्तुसीमा:** उत्तर: विक्रेता की कृषि भूमि, दक्षिण: उज्जैन बायपास रोड, पूर्व : श्री जावेद का प्लॉट, पश्चिम: विक्रेता की कृषि भूमि
दिनांक : 02-07-2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इंदौर **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

FORM No. 4
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
(2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building, Residency Road, Jabalpur MP)
(Areas of Jurisdiction - Mandhya Pradesh)
SUMMON FOR APPEARANCE & SHOW - CAUSE
No....... Date.........
(Summon to defendant under section 19(4) fo the Recovery fo Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993)
Original Application No. 1082 of 2023
CENTRAL BANK OF INDIA .....Applicant
Versus
M/s Sparsh Digitex ..... Defendants
To,
1. **M/s Sparsh Digitex**
Through its Proprietor Harshvardhan Singh Chouhan
S/o Shri Dharampal Singh Chouhan
Address: 183, Sector-A, 2nd Floor, Adarsh Mechanic Nagar, Bhamori, Indore M.P.
Also at: 401, Sanjhi Chat Mahi, Kanadia By Pass, Indore M.P.
Wheareas, OA No. 1082 of 2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 20.10.2023.
Whereas this Hon'ble Tribunal pleased to issue summons/notice on this said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 62,69,912.00/-** with expenses & future interest (application along with copies of documents etc. annexed)
In accordance with sub section 4 of Section 19 of the act, you the defendants are directed as under :-
(I) To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No 3-A of the original application.
(iii) You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No.3-A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified of disclosed under Serial No 3A of the Original Application without the error approval of the Tribunal
(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding securely interest over such assets
You are also directed to file the Written Statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **26.08.2025 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of the Tribunal this **01st day of July, 2024.**
SEAL
Authorised Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर
ई-नीलामी की सूचना
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **11.08.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक / बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि (₹) / बिड वृद्धि राशि (₹)
मेसर्स दादा जी ट्रेक्टर एजेन्सी, प्रो.: श्री शिव सिंह तंवर जमानतदार: 1. श्री अमर सिंह चौहान पिता भीम सिंह चौहान 2. श्री कृष्णपाल सिंह चौहान पिता भीम सिंह चौहान शाखा: खण्डवा, मोबाईल: 83700 12036	**1.** नगर पालिका निगम खंडवा सीमा में ग्राम सुजापुरकला में संपत्ति, भैरवतालाब, वार्ड क्रमांक 28 में आवासीय उपयोग की भूमि, सन्मति नगर से लगी मुख्य सड़क के अंदर और खंडवा में मुख्य सड़क के अंदर, खसरा क्रमांक 102/5 के 0.60 डिसमिल भूमि क्षेत्र के दक्षिण भाग के साथ परिवर्तित भूमि, डायवर्सन शीट नं. 02 के बाद क्षेत्रफल 0.073, ब्लॉक क्रमांक 1-बी, प्लॉट क्रमांक 37/3 भाग, प्लॉट क्रमांक 03 के साथ, पूर्व-पश्चिम में चौड़ाई 48 फीट, उत्तर-दक्षिण में 50 फीट, **कुल क्षेत्रफल: 2400 वर्गफीट या 223.04 वर्गमीटर, मालिक: श्री शिव सिंह तंवर पिता कोमल सिंह, चर्तु:सीमा: उत्तर:** अनूप तिवारी का प्लाट, **दक्षिण:** अशोक अग्रवाल की भूमि, **पूर्व:** 22 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** स्वरुप सिंह पिता ज्ञान सिंह की भूमि	**31.07.2021 / 1,61,33,179/- + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी**	**1,23,39,000 / 12,34,000 / 50,000**
	2. नगर पालिका निगम खंडवा सीमा में ग्राम सुजापुरकला में संपत्ति, भैरवतालाब, वार्ड क्रमांक 28 में आवासीय उपयोग की भूमि, सन्मति नगर से लगी मुख्य सड़क केअंदर और खंडवा में मुख्य सड़क केअंदर, खसरा क्रमांक 102/5 के 0.60 डिसमिल भूमि क्षेत्र के दक्षिण भाग के साथ परिवर्तित भूमि, डायवर्सन शीट नं. 02 के बाद क्षेत्रफल 0.073, ब्लॉक क्रमांक 1-बी, प्लॉट क्रमांक 37/3 भाग, प्लॉट क्रमांक 03 के साथ, पूर्व-पश्चिम में चौड़ाई 48 फीट, उत्तर-दक्षिण में 30 फीट, **कुल क्षेत्रफल: 1440 वर्गफीट या 133.82 वर्गमीटर, मालिक: श्री शिव सिंह तंवर पिता कोमल सिंह, चर्तु:सीमा: उत्तर:** शिव सिंह तंवर पिता कोमल सिंह का प्लाट, **दक्षिण:** अमर सिंह, कृष्णपाल सिंह चौहान का प्लाट, **पूर्व:** 22 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** रुप सिंह पिता ज्ञान सिंह की भूमि		**81,31,000 / 8,13,500 / 50,000**
	3. नगर पालिका निगम खंडवा सीमा में ग्राम सुजापुरकला में संपत्ति, भैरवतालाब, वार्ड क्रमांक 28 में आवासीय उपयोग की भूमि, सन्मति नगर से लगी मुख्य सड़क केअंदर और खंडवा में मुख्य सड़क केअंदर, खसरा क्रमांक 102/5 के 0.60 डिसमिल भूमि क्षेत्र के दक्षिण भाग के साथ परिवर्तित भूमि, डायवर्सन शीट नं. 02 के बाद क्षेत्रफल 0.073, ब्लॉक क्रमांक 1-बी, प्लॉट क्रमांक 37/3 भाग, प्लॉट क्रमांक 03 के साथ, पूर्व-पश्चिम में चौड़ाई 49 फीट, उत्तर-दक्षिण में 30 फीट, **कुल क्षेत्रफल: 1470 वर्गफीट या 136.62 वर्गमीटर, मालिक: 1. श्री अमर सिंह चौहान पिता भीम सिंह चौहान, 2. श्री कृष्णपाल सिंह चौहान पिता भीम सिंह चौहान, चर्तु:सीमा: उत्तर:** शिव सिंह तंवर पिता कोमल सिंह का प्लाट, **दक्षिण:** लाकमे सिंह चौहान का प्लाट, **पूर्व:** 22 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** रुप सिंह पिता ज्ञान सिंह की भूमि		**50,28,000 / 5,03,000 / 50,000**

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 11.08.2025 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 06.08.2025 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 08.08.2025, रात 11 बजे तक, ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765
बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है।
सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना
स्थान: इन्दौर, दिनांक: 08.07.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**